[2021] 5 एस.सी.आर. 927

एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

बनाम

मुकेश कुमार एवं अन्य।

(सिविल अपील क्रमांक 4576/2021)

03 अगस्त 2021

[संजय किशन कौल और हृषिकेश रॉय, जे.जे.]

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 - के तहत मुआवजा - स्थायी विकलांगता के लिए - क्या मुआवजे का निर्धारण करते समय, क्या घायल दावेदार के लिए कृत्रिम अंग के निरंतर रखरखाव के लिए दिशा-निर्देश के तरीके में दिशा-निर्देश पारित किए जा सकते हैं - माना गया: ऐसे मुआवजे का निर्धारण नहीं किया जा सकता है एक सतत आदेश द्वारा - निर्धारण एक ही बार में होना चाहिए - हालाँकि, एकमुश्त राशि तय करते समय कृत्रिम अंग के रखरखाव/प्रतिस्थापन का प्रावधान होना चाहिए - दावेदार को लागत निर्धारित करते हुए एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है कृत्रिम अंग खरीदा और दिखाया गया कि किस प्रकार के रखरखाव/प्रतिस्थापन की आवश्यकता होगी - उसके बाद मुआवजे की मात्रा निर्धारित की जाएगी।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 - मुआवजा - स्थायी विकलांगता के लिए - मोटर दुर्घटना मामले में मुआवजे का निर्धारण करते समय, निचली अदालत ने बीमा कंपनी को ब्याज वाली जमा राशि में 60 लाख रुपये रखने का निर्देश दिया, जिसे पूरा करने के लिए ब्याज के रूप में 50 हजार रुपये उत्पन्न होंगे। दावेदार के शेष जीवन के लिए दो अर्ध-कुशल परिचारकों का खर्च - अदालत ने सरकार को यह जांचने का निर्देश दिया कि क्या स्थायी रूप से विकलांग किशोरों, जिनके माता-पिता आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं, को सहायता प्रदान करने के संबंध में कोई सरकारी नीति हो सकती है - माना गया: में ऐसे मामले जहां विकलांगता की डिग्री अधिक है, मानसिक विकलांगता है, यह एक युवा व्यक्ति का मामला है आदि, सभी संभावनाओं का पूर्वानुमान करना संभव नहीं होने पर, काजल मामले में गुणक विधि लागू करना, उचित पाठ्यक्रम होगा - के तथ्यों में वर्तमान मामले में, काजल मामले में विधि का पालन करना उचित होगा* - उच्च न्यायालय को काजल मामले में निर्धारित गुणक विधि के आधार पर उचित एकमुश्त राशि निर्धारित करने का निर्देश दिया गया है* - मोटर दुर्घटना दावा कार्यवाही में, ऐसे बड़े मुद्दे को संबोधित करते हुए, यह न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से परे है - इसने एक जनहित याचिका का रंग ले लिया है -*

इसलिए, इस पहलू की जांच जनहित याचिका से निपटने वाली उच्च न्यायालय की एक पीठ द्वारा की जानी चाहिए जो इस मुद्दे को सामान्य रूप से निर्धारित करती है और केवल तक ही सीमित नहीं है वर्तमान मामला.

**काजल बनाम जगदीश चंद एवं अन्य (2020) 4 एससीसी 413: बी [2020] 3 एससीआर 622 - पर भरोसा किया गया।*

नागप्पा बनाम गुरुदयाल सिंह और अन्य, **(2003) 2 एससीसी 274: [2002] 4 सप्ल.एससीआर 499;**

सपना बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं अन्य **(2008) 7 एससीसी 613 : [2008]8 एससीआर 791**; *नागप्पा बनाम गुरुदयाल सिंह एवं अन्य* **(2003) 2 एससीसी 274 : [2002] 4 पूरक। एससीआर 499;** *सपना बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं अन्य* **(2008) 7 एससीसी 613 : [2008] 8 एससीआर 791;** *ललन डी. @ लाल एंड अदर बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,* **(2020) 9 एससीसी 805: [2019] 8 एससीआर 986**; *परमिंदर सिंह बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य,* **(2019) 7 एससीसी 217: [2019] 8 एससीआर 986;** *मल्लिकार्जुन बनाम डिविजनल मैनेजर, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य,* **(2014) 14 एससीसी 396: [2013] 8 एससीआर 268 - संदर्भित।**

केस कानून संदर्भ

[2002] 4 सप्ल.एससीआर 499	**पैरा 7 को संदर्भित करता है**
[2008] 8 एससीआर 791	**पैरा 7 को संदर्भित करता है**
[2002] 4 पूरक। एससीआर 499	**पैरा 16 को संदर्भित करता है**
[2008] 8 एससीआर 791	**पैरा 16 को संदर्भित करता है**
[2020] 3 एससीआर 622	**पैरा 18 पर निर्भर था**
[2019] 8 एससीआर 986	**पैरा 20 को संदर्भित करता है**
[2019] 8 एससीआर 986	**पैरा 20 को संदर्भित करता है**
[2013] 8 एससीआर 268	**पैरा 21 को संदर्भित करता है**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2021 की सिविल अपील संख्या 4576।

एमएसी में नई दिल्ली स्थित दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 04.11.2020 के निर्णय और आदेश से। 2020 का एपीपी नंबर 218।

साथ

2021 की सिविल अपील संख्या 4577

वी. गिरी, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री अर्चना पाठक दवे, सुश्री वान्या गुप्ता, कुमार प्रशांत, करण लाहिड़ी, पल्लव मोंगिया, शैलेन्द्र रेड्डी, सुश्री अंकिता गुप्ता, अधिवक्ता। अपीलकर्ता के लिए.

जयेश के. उन्नीकृष्णन, सुश्री सस्मिता त्रिपाठी, दिलावर सिंह, सुश्री गीतांजलि त्रिपाठी, सुश्री गौतमी बुद्धप्रिया, विवेकानन्द सिंह, मनीष मैनी, सुश्री मंजीत चावला, सुश्री रितु रस्तोगी, बी.एस. चौधरी, सुश्री आदिरा ए. नायर, संजय कुमार विसेन, दुर्गा दत्त, सुश्री समता पुष्करणा मिश्रा, अमर सिंह, नीरज गोस्वामी, आर.डी. सिंह, मेसर्स विभु शंकर मिश्रा एंड कंपनी, सलाहकार उत्तरदाताओं के लिए.

न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया

संजय किशन कौल, जे.

सिविल अपील क्रमांक 4576/2021

अनुमति दी गई.

बीमा कंपनी द्वारा दायर इस अपील में निर्धारण के लिए एकमात्र प्रश्न यह उठता है कि क्या मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (इसके बाद "उक्त अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के तहत मुआवजे का निर्धारण करते समय न्यायालय द्वारा निर्देश पारित किए जा सकते हैं। घायल दावेदार के लिए कृत्रिम अंग के निरंतर रखरखाव के लिए निर्देश।

प्रतिवादी नंबर 1 अर्थात्। मुकेश कुमार की उम्र 19 वर्ष थी जब 25.8.2017 को उनकी दुर्घटना हुई, जिसके परिणामस्वरूप उनका दाहिना निचला अंग स्थायी रूप से विकलांग हो गया, जिसे 100% विकलांगता माना गया। उस अंग के घुटने के नीचे एक विच्छेदन करना पड़ा। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) द्वारा किए गए मूल्यांकन में, सुविधाओं, जीवन और विकृति के नुकसान के लिए 2 लाख रुपये

की राशि निर्धारित की गई थी, जिसमें उनके कृत्रिम अंग का खर्च भी शामिल होगा। अपील में परीक्षण करने पर, उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने दिनांक 04.11.2020 के आक्षेपित आदेश द्वारा निम्नलिखित शर्तों में निर्देश पारित किए हैं:

"7. सहमति से, याचिका संख्या 129/2018 में विद्वान एमएसीटी द्वारा पारित विवादित निर्णय दिनांक 22.01.2020 को इस हद तक संशोधित किया गया है कि दावेदार/आर-1 को अच्छी गुणवत्ता का कृत्रिम अंग प्रदान किया जाएगा जो उपयुक्त और आरामदायक हो उसे। इसमें आजीवन वारंटी होगी। यदि किसी भी स्तर पर इसे बदलने/मरम्मत की आवश्यकता होगी, तो बीमा कंपनी ऐसा करेगी। बीमाकर्ता वर्ष में कम से कम दो बार पीड़ित से उसके ई-मेल पते और टेलीफोन नंबर के साथ-साथ उसके वकील के ई-मेल पते और टेलीफोन नंबर के माध्यम से कृत्रिम अंग की कार्यशील स्थिति के बारे में पूछताछ करेगा। विवरण इस प्रकार हैं:-

दावेदारों का R1s मोबाइल नंबर	दावेदारों का R1s ईमेल पता	वकील का मोबाइल नं.	वकील का ई-मेल पता

8. कृत्रिम अंग के संबंध में किसी भी कठिनाई के मामले में, दावेदार बीमाकर्ता को दिए गए बीमाकर्ता के तीन अधिकारियों के ई-मेल पते और/या टेलीफोन नंबरों के माध्यम से बीमाकर्ता को सूचित कर सकता है। ये विवरण आज से 2 सप्ताह के भीतर दावेदार को प्रदान किए जाएंगे।

9. दावेदार बीमाकर्ता के लिए विद्वान वकील द्वारा उपलब्ध कराए गए ई-मेल पते और टेलीफोन नंबरों पर बीमा कंपनी को उपयुक्त कृत्रिम अंग के लिए कोटेशन या अनुमान के बारे में सूचित करने के लिए खुला होगा। विवादित आदेश इस सीमा तक संशोधित किया गया है।"

(विवरण संशोधित)

अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि जो सहमति दी गई थी वह विवादित फैसले में संशोधन के लिए थी, न कि कृत्रिम अंग पर आजीवन वारंटी रखने के लिए, क्योंकि कृत्रिम अंग के लिए आजीवन वारंटी जैसी कोई चीज नहीं है। इतना ही नहीं, विवादित निर्देशों में कहा गया है कि यदि कोई मरम्मत या प्रतिस्थापन

किया जाना है, तो वह बीमा कंपनी द्वारा किया जाना चाहिए और बीमाकर्ता को पीड़ित से वर्ष में कम से कम दो बार काम करने की स्थिति के बारे में पूछताछ करनी होगी। एक ईमेल पते और निर्दिष्ट टेलीफोन नंबर के साथ कृत्रिम अंग। इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिया है वह बीमा कंपनी द्वारा कृत्रिम अंग के निरंतर रखरखाव की निगरानी करना है। हम ध्यान दें कि उपरोक्त एकमात्र मुद्दा है जिसकी जांच के लिए हमें बुलाया गया है।

हमने दिनांक 15.2.2021 के आदेश के तहत जारी अंतरिम निर्देशों द्वारा उपरोक्त पैराग्राफ के संचालन पर रोक लगा दी थी।

हमारा विचार है कि उपरोक्त पैराग्राफ में चर्चा किए गए पहलू को केवल मुआवजे का हिस्सा बनाया जा सकता है, न कि निरंतर निर्देशों की प्रकृति में। इस संबंध में, हमने एसएलपी (सी) संख्या 8631/2020 में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 06.8.2020 के आदेश के तहत एक दृष्टिकोण देखा है, जहां एक ही विद्वान न्यायाधीश ने एक समान दृष्टिकोण अपनाया है और आदेश के उस पहलू को प्रस्ताव पर हटा दिया गया था। बेंच द्वारा बिना किसी नोटिस के चरण और इस प्रकार हमने दूसरे पक्ष को नोटिस जारी करना उचित समझा।

अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने हमारे समक्ष *नागप्पा बनाम गुरुदयाल सिंह और अन्य, (2003) 2 एससीसी 274 और सपना बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य में इस न्यायालय के दो निर्णयों का उल्लेख किया है (2008) 7 एससीसी 613* की राय है कि उक्त अधिनियम के तहत मुआवजे का निर्धारण करते समय अंतिम पुरस्कार पारित होने के बाद आगे पुरस्कार पारित करने का कोई प्रावधान नहीं है। उस समय भविष्य की घटनाओं पर विचार किया जाना चाहिए। यह देखा गया कि:

"23...भविष्य में होने वाले आवश्यक चिकित्सा खर्चों को चिकित्सा उपचार की लागत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष अनुमान के आधार पर ही निर्धारित किया जा सकता है।"

हमारे विचार में, इस तरह के मुआवजे के निर्धारण की प्रक्रिया बोलचाल की भाषा में निरंतर परमादेश द्वारा नहीं हो सकती है, और निर्धारण एक ही बार में होना चाहिए।

पूर्वोक्त सिद्धांत से उत्तरदाताओं द्वारा असहमति या विरोध भी नहीं किया गया है, लेकिन जो प्रस्तुत किया गया है वह यह है कि यदि आवश्यक हो तो कृत्रिम

अंग के रखरखाव/प्रतिस्थापन के लिए एकमुश्त राशि तय करने का प्रावधान किया जाना चाहिए। हम इस दलील से सहमत हैं और बड़े पैमाने पर यह निर्देश देना उचित समझते हैं कि कृत्रिम अंग की सुविधा प्रदान करने के ऐसे मामलों में, ऐसे रखरखाव के लिए उचित राशि निर्धारित की जा सकती है।

इस प्रकार, हम उपर्युक्त सीमा तक अपील की अनुमति देते हैं और कृत्रिम अंग के रखरखाव/प्रतिस्थापन के निर्धारण के लिए पैराग्राफ संख्या 7,8 और 9 को अलग रखते हैं, जबकि मुआवजे के लिए राशि की मात्रा निर्धारित की जा रही है।

प्रश्न यह है कि क्या हमें नए सिरे से सिद्धांत निर्धारित कर राशि निर्धारित करने के लिए इस मामले को उच्च न्यायालय में भेजना चाहिए, या हमें इसे स्वयं निर्धारित करना चाहिए। मामले के दिए गए तथ्यों में, हम मामले को नए सिरे से निर्धारण के लिए भेजना उचित नहीं मानते हैं और इसके बजाय पूर्ण न्याय करने का भार स्वयं उठाते हैं।

एकमुश्त राशि के निर्धारण की सुविधा के लिए, हम प्रतिवादी नंबर 1 के विद्वान वकील से सहायक दस्तावेजों के साथ उसके द्वारा खरीदे गए कृत्रिम अंग की लागत बताते हुए एक हलफनामा दाखिल करने का आह्वान करते हैं। उसे उस कंपनी के सहायक दस्तावेज़ भी दाखिल करने चाहिए जिससे उसने कृत्रिम अंग खरीदा है, यह दिखाने के लिए कि किस प्रकार के रखरखाव/प्रतिस्थापन की आवश्यकता होगी। इन दस्तावेजों के दाखिल होने पर हम राशि का निर्धारण करेंगे।

अन्य पहलुओं पर अपील का निपटारा किया जाता है।

जैसा कि प्रार्थना की गई है, चार सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर किया जाए। इसके बाद दो सप्ताह के भीतर इसका जवाब दाखिल किया जाए।

छह सप्ताह बाद सूची.

<u>सिविल अपील संख्या 4577/2021</u>

छअनुमति दी गई.

कंपनी की शिकायत आक्षेपित आदेश में पारित निर्देशों से उत्पन्न होती है, विशेष रूप से पैराग्राफ संख्या 8 से 10 में, यह मानते हुए कि न्यूनतम मजदूरी के आधार पर दो अर्ध-कुशल श्रमिकों की सहायता प्रतिवादी को प्रदान की जानी है।

अपीलकर्ता के शेष जीवन के लिए दुर्घटना की तारीख। उक्त निर्देश को पूरा करने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, बीमा कंपनी को 60 लाख रुपये की राशि ब्याज वाली जमा राशि में रखनी होगी, जिससे लगभग 50,000/- रुपये प्रति माह ब्याज के रूप में उत्पन्न होंगे। सहायकों के खर्चों को पूरा करें. निर्देश निम्नलिखित शर्तों में निहित हैं:

8. वर्तमान में, अपीलकर्ता को अपने देखभाल करने वाले माता-पिता का लाभ मिल सकता है, लेकिन उनसे हर समय उसके साथ मौजूद रहने की उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि वे अन्य गतिविधियों में लगे हो सकते हैं और/या परिवार की जरूरतों के लिए प्रावधान करने के लिए नियोजित हो सकते हैं। इन परिस्थितियों में, अपीलकर्ता को दुर्घटना की तारीख से और अपीलकर्ता के शेष जीवन के लिए न्यूनतम मजदूरी के आधार पर दो अर्ध-कुशल श्रमिकों की सहायता की खरीद के लिए मुआवजे का भुगतान किया जाएगा।

9. अर्ध-कुशल श्रमिक पर लागू अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी दरों के आधार पर, बीमाकर्ता द्वारा बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। बकाया राशि सीधे अपीलकर्ता के बैंक खाते में, जो उसके माता-पिता द्वारा संयुक्त रूप से संचालित है, एक महीने में जमा की जाएगी, साथ ही उस पर 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी जमा किया जाएगा। भविष्य में "अटेंडेंट शुल्क" के अनुरूप भुगतान भी बीमाकर्ता द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। अर्ध-कुशल कामगार की वर्तमान न्यूनतम मजदूरी दर लगभग 18,000/- रुपये है। तदनुसार, अपीलकर्ता को प्रति माह 36,000 रुपये का भुगतान करना होगा। इन दरों को साल में दो बार संशोधित किया जाता है। इसलिए, अपीलकर्ता के बैंक खाते में वर्तमान और भविष्य की मजदूरी के स्वचालित क्रेडिट के लिए विवेकपूर्ण प्रावधान किया जाना चाहिए। तार्किक रूप से, बीमा कंपनी को डीएफआर ब्याज के रूप में प्रति माह लगभग 50,000/- रुपये का आश्वासन देना चाहिए। वर्तमान एफडीआर दरों के अनुसार, 60 लाख रुपये की जमा राशि पर प्रति माह लगभग 50,000 रुपये ब्याज मिलने की संभावना है। मान लीजिए कि बीमाकर्ता द्वारा अपने बैंक में ब्याज वाली एफडीआर में 60 लाख रुपये रखे गए हैं। इससे अर्जित ब्याज, दो परिचारकों के लिए अधिसूचित न्यूनतम वेतन के आधार पर, प्रत्येक ग्रेगोरियन कैलेंडर माह के 10% दिन तक अपीलकर्ताओं के खाते में जमा किया जाएगा।

10. यदि न्यूनतम मजदूरी को बाद में उस मात्रा तक बढ़ाया जाए जो एफडीआर से उत्पन्न ब्याज को पूरा नहीं करता है, तो बीमाकर्ता कमी को पूरा करने के लिए जमा राशि बढ़ाएगा। बीमाकर्ता के पास जमा राशि पर ग्रहणाधिकार

होगा, जिसे वह दावेदार की मृत्यु पर भुना लेगा।

हमने पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है और हमारा मानना है कि ये निर्देश टिकाऊ नहीं हैं।

इसका कारण यह है कि वे *नागप्पा बनाम गुरुदयाल सिंह और अन्य-* (2003) 2 एससीसी 274, सपना बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य में इस अदालत द्वारा अपनाए गए न्यायिक दृष्टिकोण के विपरीत हैं। (2008) 7 एससीसी 613 और द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम जाकिर हुसैन और अन्य। [एसएलपी (सी) संख्या 0.12210/2020 दिनांक 13.10.2020]। इन मामलों में, इस न्यायालय ने राय दी है कि उक्त अधिनियम के तहत मुआवजे का निर्धारण करते समय अंतिम पुरस्कार दिए जाने के बाद आगे पुरस्कार पारित करने का प्रावधान करने का कोई प्रावधान नहीं है। यह देखा गया है कि उस समय भविष्य की घटनाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए;

"हालांकि, यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि एमवी अधिनियम अंतिम पुरस्कार पारित होने के बाद आगे पुरस्कार पारित करने का प्रावधान नहीं करता है। इसलिए, ऐसे मामले में जहां किसी पीड़ित को चोट लगने पर समय-समय पर चिकित्सा व्यय की आवश्यकता होती है, मुआवजा कार्यवाही को अंतिम रूप देने के बाद चिकित्सा व्यय होने पर नया पुरस्कार पारित नहीं किया जा सकता है या पिछले पुरस्कार की समीक्षा नहीं की जा सकती है। इसलिए, एकमात्र विकल्प यह है कि अंतिम निर्णय पारित करते समय, ट्रिब्यूनल/अदालत को ऐसी स्थिति पर विचार करना चाहिए और तदनुसार मुआवजा तय करना चाहिए। कोई भी यह सुझाव नहीं दे सकता है कि भविष्य के चिकित्सा खर्चों के लिए वास्तविक और उचित रूप से किए जाने वाले व्यय को ध्यान में रखना अनुचित है। चिकित्सा उपचार की लागत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए भविष्य में होने वाले आवश्यक चिकित्सा खर्चों का निर्धारण निष्पक्ष अनुमान के आधार पर ही किया जा सकता है।

कृत्रिम अंग के प्रावधानों के पहलुओं से संबंधित एसएलपी (सी) संख्या 16077/2020 में उसी बीमा कंपनी द्वारा दायर एक अन्य अपील में आज हमने उपरोक्त पहलू पर विचार किया है। मौजूदा मामले में हमने जिन सिद्धांतों की सराहना की है, वे थोड़े अलग हैं, जैसे कि यह सख्ती से जारी दिशा की प्रकृति में नहीं हो सकता है; लेकिन निरंतर आवश्यकता के आधार पर, रिटर्न में एकमुश्त राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है, जिसका उपयोग किया जाना है। हमारा विचार है

कि यह अनुसरण करने योग्य उचित मार्ग नहीं है।

अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने हमें विभिन्न न्यायिक घोषणाओं से अवगत कराया, जो दर्शाती है कि विभिन्न अदालतों द्वारा जो दृष्टिकोण अपनाया गया है वह एकमुश्त राशि देने का है। हालाँकि विवादास्पद मुद्दा यह बना हुआ है कि एकमुश्त राशि की गणना कैसे की जाए।

हमने पाया कि किसी व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक क्षमताओं को प्रभावित करने वाली अत्यधिक चोटों के मामले में, *काजल बनाम जगदीश चंद और अन्य* में इस न्यायालय द्वारा एक समान दृष्टिकोण अपनाया गया है (2020) 4 एससीसी 413।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि उस मामले में तथ्यात्मक मैट्रिक्स एक युवा लड़की की बहुत गंभीर तस्वीर पेश करती है जो एक दुर्घटना का शिकार हो गई और इसके परिणामस्वरूप शारीरिक रूप से वह बूढ़ी हो जाएगी, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति एक वर्ष से कम उम्र की रहेगी। उस परिदृश्य में, परिचर शुल्क निर्धारित करते समय गुणक विधि को लागू करने के लिए एक पद्धति का सुझाव दिया गया था। हम निम्नानुसार टिप्पणियों को पुन: प्रस्तुत करना उपयोगी मानते हैं: -

<u>परिचर शुल्क</u>

22. उच्च न्यायालय द्वारा 44 वर्षों के लिए प्रति माह 2,500/- रुपये की दर से परिचर शुल्क का निर्धारण किया गया है, जो 13,20,000/- रुपये बनता है। दुर्भाग्य से यह प्रणाली उचित प्रणाली नहीं है। गुणक प्रणाली का उपयोग विभिन्न कारकों को संतुलित करने के लिए किया जाता है। जब मुआवज़ा एकमुश्त दिया जाता है, तो विभिन्न कारकों को ध्यान में रखा जाता है। जब मुआवजे का भुगतान एकमुश्त किया जाता है, तो इस न्यायालय ने हमेशा गुणक प्रणाली का पालन किया है। गुणक प्रणाली का पालन न केवल आय की हानि के कारण मुआवजा निर्धारित करने के लिए किया जाना चाहिए, बल्कि सहायक शुल्क आदि निर्धारित करने के लिए भी किया जाना चाहिए। इस प्रणाली को इस न्यायालय द्वारा गोबाल्ड मोटर सर्विस लिमिटेड बनाम आर एमएलके में मान्यता दी गई थी। वेलुस्वामी (एआईआर 1962 एससी 1)। गुणक प्रणाली मुद्रास्फीति दर, एकमुश्त पुरस्कार पर देय ब्याज की दर, दावेदार की दीर्घायु और जीवन की अनिश्चितताओं जैसे अन्य मुद्दों को भी प्रभावित करती है। सभी विभिन्न वैकल्पिक

तरीकों में से, गुणक विधि को सबसे यथार्थवादी और उचित विधि के रूप में मान्यता दी गई है। यह पक्षों के बीच बेहतर न्याय सुनिश्चित करता है और इस प्रकार अधिनियम के अर्थ के भीतर 'उचित मुआवजा' प्रदान करता है।

23. इस स्तर पर टेलर बनाम ओ कॉनर (1971 एसी 115) में लॉर्ड रीड की टिप्पणी का उल्लेख करना उचित होगा:

> "वर्षों की अवधि में निर्भरता के नुकसान की भरपाई के लिए क्षतिपूर्ति एकमुश्त राशि के रूप में प्रदान की जानी चाहिए और उस राशि की गणना आम तौर पर एक वर्ष की निर्भरता की राशि के लिए गुणक लागू करके की जाती है। यह सामान्य मामले में एक बिल्कुल अच्छा तरीका है लेकिन यह इस तथ्य को छुपाता है कि इसमें दो बिल्कुल अलग-अलग मामले शामिल हैं, भविष्य के भुगतानों की श्रृंखला का वर्तमान मूल्य, और उस वर्तमान मूल्य की छूट इस तथ्य को अनुमति देने के लिए कि एक कारण से या फिर हर्जाना प्राप्त करने वाले व्यक्ति ने कभी भी निर्भरता के पूरे लाभ का आनंद नहीं लिया होगा। सामान्य मामले में इन मामलों को अलग से निपटाना बिल्कुल अनावश्यक है। न्यायाधीशों और वकील के पास प्रचुर अनुभव है जो गुणक के चयन के लिए पर्याप्त मार्गदर्शक है और किसी भी विशेषज्ञ साक्ष्य को उचित रूप से हतोत्साहित किया जाता है। लेकिन ऐसे मामले में जहां तथ्य विशेष हैं, मुझे लगता है कि अगर मोटा न्याय भी करना है तो इन मामलों पर अलग से विचार किया जाना चाहिए और विशेषज्ञ साक्ष्य मूल्यवान या लगभग आवश्यक हो सकते हैं। वर्तमान मामले में विशेष कारक आयकर की घटना है और, यह अतिरिक्त कर भी हो सकता है।

24. इस न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम बनाम सुभगवती (1966 एसीजे 57), यू.पी. जैसे विभिन्न मामलों में गुणक पद्धति की पुष्टि की है। राज्य सड़क परिवहन निगम और अन्य। बनाम त्रिलोक चंद्र और अन्य। [(1996)4 एससीसी 362], संदीप खंडूजा बनाम अतुल डांडे और अन्य। [(2017) 3 एससीसी 351]। इस न्यायालय ने यह भी माना है कि अधिनियम की अनुसूची II का उपयोग प्रत्येक मामले में गुणक को लागू करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में किया जा सकता है। दावेदार की उम्र को ध्यान में रखते हुए, इस मामले में गुणक उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए 44 के विपरीत 18 होना चाहिए।

25. ऐसा मानने के बाद, हमारा स्पष्ट मानना है कि परिचर शुल्क निर्धारित करने के लिए ली जाने वाली मूल राशि बहुत कम है। हमें याद रखना चाहिए कि यह छोटी लड़की असंयम से गंभीर रूप से पीड़ित है जिसका अर्थ है कि उसका मूत्र और मल त्यागने जैसे अपने शारीरिक कार्यों पर नियंत्रण नहीं है। जैसे-जैसे वह बड़ी होगी, वह अपने मासिक धर्म को संभालने में सक्षम नहीं होगी। उसे लगभग 24 घंटे एक परिचारक की आवश्यकता होती है। उसे एक ऐसे परिचारक की आवश्यकता है जो भले ही चिकित्सकीय रूप से प्रशिक्षित न हो, लेकिन बिस्तर पर पड़े बच्चे को संभालने में सक्षम होना चाहिए। उसे एक परिचारक की आवश्यकता होगी जो यह सुनिश्चित करेगा कि उसे बिस्तर पर घाव न हों। दावेदार ने हमारे सामने वर्ष 2010 की हरियाणा राज्य की एक अधिसूचना रखी है जिसमें कुशल श्रमिक की मजदूरी 4846/- रुपये प्रति माह है। इसलिए, हम एक परिचारक की लागत 5,000/- रुपये का आकलन करते हैं और उसे दो परिचारकों की आवश्यकता होगी जो प्रति माह 10,000/- रुपये, जो प्रति वर्ष 1,20,000/- रुपये बैठता है, और इसका उपयोग करते हुए 18 का गुणक उसके पूरे जीवन के लिए परिचर शुल्क के लिए 21,60,000/- रुपये बनता है। इससे सभी आर्थिक क्षतियों का ख्याल रखा जाता है।"

अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने हमें यह समझाने की कोशिश की कि यह एकमात्र उपलब्ध पद्धति नहीं है और इसे नहीं अपनाया जाना चाहिए। हमारा विचार है कि ऐसे मामलों में जहां विकलांगता की डिग्री अधिक है, मानसिक विकलांगता है, यह एक युवा व्यक्ति का मामला है आदि, सभी संभावनाओं का अनुमान लगाना संभव नहीं होने पर, उपरोक्त पाठ्यक्रम उचित पाठ्यक्रम होगा। हम यह नहीं कह रहे हैं कि उपरोक्त एकमात्र तरीका हो सकता है, और एक अलग परिदृश्य में, एकमुश्त राशि का आकलन किया जा सकता है जैसा कि *लालन डी. @ लाल और अन्य बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, (2020) 9 एससीसी 805 और परमिंदर सिंह बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य, (2019) 7 एससीसी 217* में किया गया है।

अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने *मल्लिकार्जुन बनाम डिविजनल मैनेजर, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य,* (2014) 14 एससीसी 396 में अपनाए गए एक अन्य पाठ्यक्रम को भी इंगित करने की मांग की, जिसमें मोटर वाहन दुर्घटना के कारण विकलांगता से पीड़ित बच्चों के मामले एक व्यापक हैं। सिद्धांत को निम्नलिखित शर्तों में निर्धारित करने की मांग की गई थी: -

"12. यद्यपि मोटर वाहन दुर्घटना के कारण विकलांगता से पीड़ित बच्चों के मामले में मुआवजे का सटीक आकलन करना मुश्किल है, प्रासंगिक कारकों, मिसालों और विभिन्न उच्च न्यायालयों के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए,

हमारा विचार है कि यदि विकलांगता 10% से ऊपर और पूरे शरीर में 30% तक है, तो उपचार, परिचारक आदि के वास्तविक व्यय के अलावा अन्य सभी मदों में उचित मुआवजा 3 लाख रुपये होना चाहिए; 60% तक, रु. 4 लाख; 90% तक 5 लाख रुपये और 90% से ऊपर 6 लाख रुपये होनी चाहिए. 10% तक की स्थायी विकलांगता के लिए, यह 1 लाख रुपये होना चाहिए, जब तक कि अलग-अलग मानदंड अपनाने के लिए असाधारण परिस्थितियां न हों। मौजूदा मामले में, विकलांगता 18% है। अपीलकर्ता को लगभग दो महीने तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा, जिससे माता-पिता को भी असुविधा हुई और कमाई का नुकसान हुआ।"

उपरोक्त केवल यह दर्शाता है कि एक से अधिक विकल्प उपलब्ध हैं अर्थात, जैसा कि ऊपर बताया गया है, सामान्य सिद्धांतों पर एकमुश्त राशि निर्दिष्ट हो सकती है; या ऐसे मामलों में जहां तथ्यात्मक परिदृश्य की आवश्यकता होती है, काजल (सुप्रा) के मामले में समान गुणक विधि का पालन किया जा सकता है।

अब वर्तमान मामले के तथ्यों की ओर मुड़ते हुए, बच्चा 11 वर्ष का था जब उसे कार्यात्मक विकलांगता का सामना करना पड़ा, जिसका मेडिकल बोर्ड और ट्रिब्यूनल द्वारा 70% मूल्यांकन किया गया था, और जिसे उच्च न्यायालय ने 100% कार्यात्मक विकलांगता के रूप में निर्धारित किया था। यह इन परिस्थितियों में है कि दो कुशल श्रमिकों के लिए देय न्यूनतम मजदूरी तक पहुंचने की पद्धति के साथ परिचारकों के लिए निर्देश पारित किया गया है। दिए गए तथ्यात्मक परिदृश्य में, हमारा विचार है कि काजल के मामले में अनुसरण करने योग्य उचित पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है (सुप्रा)।

उस निष्कर्ष पर पहुंचने पर, मुद्दा यह होगा कि उन मापदंडों पर भुगतान की जाने वाली एकमुश्त राशि क्या होगी।

हमने पाया कि दिनांक 08.12.2020 के आक्षेपित आदेश के संदर्भ में, विद्वान न्यायाधीश ने जीएनसीटीडी को नोटिस जारी करके मामले को लंबित रखा है ताकि यह जांच की जा सके कि क्या स्थायी रूप से विकलांग किशोरों को प्रदान की जाने वाली सहायता के संबंध में कोई सरकारी नीति हो सकती है। जिनके माता-पिता अक्सर आर्थिक रूप से अच्छे नहीं होते हैं। हमारा विचार है कि इस निष्कर्ष के

अनुसरण में, उच्च न्यायालय को यह जांच करनी चाहिए कि काजल के मामले में निर्धारित गुणक आधार के आधार पर निर्धारित की जाने वाली उचित एकमुश्त राशि क्या होगी (सुप्रा)

इस प्रकार, हम पैराग्राफ संख्या 8 से 10 में विवादित आदेश में निहित निर्देशों को अलग रखते हैं।

हमने यह भी पाया है कि बड़े मुद्दों की जांच करते समय, विद्वान न्यायाधीश ने उस संबंध में तैयार की जाने वाली सरकारी नीति के पहलू पर भी विचार किया है। यह वास्तव में मोटर दुर्घटना दावा कार्यवाही में राशि के निर्धारण के अधिकार क्षेत्र से परे है, लेकिन एक बड़े कैनवास पर जनहित याचिका का रंग ले रहा है। इस प्रकार, हम इसे उचित मानते हैं कि इस पहलू की जांच जनहित याचिका से निपटने वाली पीठ द्वारा की जानी चाहिए, क्योंकि हमारे सामने प्रतिवादी के मामले तक सीमित होने के बजाय एक बड़ा कैनवास निर्धारित करना होगा।

उपरोक्त शर्तों के तहत सिविल अपील की अनुमति दी जाती है और पार्टियों को अपनी लागत स्वयं वहन करनी होती है।

अंकित ज्ञान अपील की अनुमति.

आशीष तिवारी द्वारा अनुवादि।